न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— गासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :— 25/2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. हरिराम		1. लादाराम
2. शैतानराम		2. मुलाराम पुत्र पुकाराम जातिगण देवासी निवासी बासनी भदावता तह0 सोजत जिला पाली राज0।
3. ओगड़राम पुत्र पेमाराम जातिगण देवासी निवासीगण बासनी भदावता तहसील सोजत जिला पाली राज0।		3. तहसीलदार भूमि धारक, सोजत
4. सेणीदेवी पत्नी कालूराम जाति सरगरा निवासी बासनी भदावता तह0 सोजत जिला पाली राज0।		

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री नवनीत गहलोत, अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।

02. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 2 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 16/07/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बासनी भदावतां तह0 सोजत में प्रार्थीगण की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि ख0नं0 163, 164, 78, 83, 88, 89 कुल खसरा 06 कुल रकबा 3.38 है0 की आयी हुई स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण सं0 1 से 3 प्रत्येक का 1/12—1/12 हिस्सा व प्रार्थीगण सं0 4 का 1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं0 1 का 1/12 हिस्सा व अप्रार्थी सं0 2 का 1/3 हिस्सा का मौखिक बंटवाडा हो चुका है तथा उसी अनुसार काबिज है। लेकिन प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की नियत खराब हो चुकी है तथा प्रार्थीगण का हिस्सा हडपना चाहते है। इसी नियत से आये दिन मौके पर मेडबंदी एवं पाला तोड कर फसल को नुकसान पहुंचाते है, जिस पर प्रार्थीगण के द्वारा हमेशा की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए दिनांक 27.01.2023 को अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि हमारे साथ तहसील में चलकर रेकर्ड के अनुसार विधिवत बंटवाडा कर देते है, जिस पर अप्रार्थीगण ने बिल्कुल मना कर दिया। इसलिये हमेशा प्रार्थीगण तंग व परेशान रहते है। कानुनी बंटवाडा करने हेतु भी तैयार एवं तत्पर नही है। इसलिये मुल वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है। प्रार्थीगण उक्त हिस्सानुसार वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने हेतु मूल वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश है तथा अप्रार्थीगण वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि को बिना विधिक बंटवाडा करवाए किसी अन्य भू—माफियों को बेचान, हस्तान्तरण कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमदा है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी पैदा करना शुरू कर दिया है तथा वादस्थ आराजीयात के विशेष भू—भाग पर ताबडतोड निर्माण कार्य कर रहे है तथा वादस्थ आराजीयात की भूमि किसी अन्य भू—माफियों को बेचान, हस्तान्तरण करने पर उतारू है। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना कानुनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। प्रार्थीगण बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी पैदा करते रहते है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को वादस्थ आराजीयात से बेदखल करना चाहते है, यदि

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

अप्रार्थीगण उक्त नाजायज कृत्य करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मुल्यांकन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। प्रार्थीगण बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिये सुविधा का सन्तुलन एवं सहुलियत का पलड़ा भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतएव अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानुनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि में वादीगण के हक हिस्से की कृषि भूमि के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी, बाधा एवं अवरोध पैदा न तो स्वंय करें, न ही किसी नौकर एजेन्ट आदि से करावे तथा बेचान, हस्तान्तरण आदि नहीं करे, न करावे तथा वादस्थ आराजीयात की भूमि के किसी भी भू-भाग या विशेष भू-भाग पर निर्माण कर कब्जा नही करे, न किसी अन्य से कराये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि वादग्रस्त भूमि का मौखिक बंटवाडा हो चुका है तथा उसी अनुसार काबिज है। लेकिन प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की नियत खराब हो चुकी है तथा प्रार्थीगण का हिस्सा हडपना चाहते है। इसी नियत से आये दिन मौके पर मेडबंदी एवं पाला तोड़ कर फसल को नुकसान पहुंचाते है, इसलिये प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी पैदा करते रहते है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को वादस्थ आराजीयात से बेदखल करना चाहते है, यदि अप्रार्थीगण उक्त नाजायज कृत्य करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे वाद निर्णय तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण वादस्थ भूमि के खातेदार है तथा खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। प्रार्थी द्वारा मात्र हैरान व परेशान की नियत से झूठा व मनगढ़त तथ्यों को लेकर उक्त विविध प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। जो कतई स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादस्थ भूमि के अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है, रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

-: **आदेश** :-

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 16/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत